रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122024-259225
CG-DL-E-06122024-259225

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4864] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 6, 2024/अग्रहायण 15, 1946
No. 4864] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 2024/AGRAHAYANA 15, 1946

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5257(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन, 2024 है।

(2) यह स्कीम 21 दिसम्बर, 2023 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

2. साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त स्कीम" कहा गया है) के पैरा 3 में, खंड (च) के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(चक) "कार्यपालक निदेशक" से यथा स्थिति निगम अथवा कंपनी, का कार्यपालक निदेशक अभिप्रेत होगा";

3. उक्त स्कीम में पैरा 4 के पश्चात निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"**4क.** कार्यपालक निदेशक के वेतन और भत्ते – कार्यपालक निदेशक का वेतन और भत्ता सत्रहवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगा।"

4. उक्त स्कीम के सोहलवी अनुसूची के पश्चात निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

'सत्रहवीं अनुसूची

(पैरा 4क देखें)

कार्यपालक निदेशक

1. कार्यपालक निदेशक का वेतनमान नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट होगा:-

स्तर 14क	
चरण (1)	**वेतनमान रुपए में (2)**
1.	1,76,800
2.	1,82,100
3.	1,87,600
4.	1,93,200
5.	1,99,000
6.	2,05,000
7.	2,11,200
8.	2,17,500
9.	2,24,000

2. **वेतन वृद्धियां** – वेतन वृद्धियां पैरा 1 में दी गई सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित संबंधित चरणों के सामने दर्शाए गए स्तंभ (2) में यथानिर्दिष्ट होगी।

3. **अगली वेतन वृद्धि की तारीख** – (1) कार्यपालक निदेशक, उप-पैरा (2) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट उसकी नियुक्ति की तारीख पर निर्भर करते हुए या तो 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार होगा।

(2) 2 जनवरी और 1 जुलाई (दोनों सम्मिलित) की कालावधि के दौरान नियुक्त कार्यपालक निदेशक के संबंध में वेतनवृद्धि 1 जनवरी को अनुदित की जाएगी और 2 जुलाई और 1 जनवरी (दोनों सम्मिलित) की कालावधि के दौरान नियुक्त कार्यपालक निदेशक के संबंध में वेतनवृद्धि 1 जुलाई को अनुदित की जाएगी।

दृष्टांत

(क) कार्यपालक की दशा में, जिसकी नियुक्ति 2 जुलाई, 2023 और 1 जनवरी, 2024 के बीच की कालावधि के दौरान हुई है, पहली वेतनवृद्धि 1 जुलाई, 2024 को उदभूत होगी और तत्पश्चात यह एक वर्ष के पश्चात वार्षिक आधार पर उदभूत होगी।

(ख) कार्यपालक की दशा में, जिसकी नियुक्ति 2 जनवरी, 2024 और 1 जुलाई, 2024 के बीच की कालावधि के दौरान हुई है, जिसने 1 जुलाई, 2024 को कोई वेतनवृद्धि आहरित नहीं की है, अगली वेतनवृद्धि 1 जनवरी, 2025 को उदभूत होगी और तत्पश्चात यह एक वर्ष के पश्चात वार्षिक आधार पर उदभूत होगी।

4. **महंगाई भत्ता** – (1) कार्यपालक निदेशक को महंगाई भत्ते का संदाय केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषित महंगाई भत्ते के अनुसार किया जाएगा।

(2) उप-पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, केन्द्रीय सरकार अपने आदेश से महंगाई भत्ते की दर में समय-समय पर परिवर्तन कर सकती है।

5. **मकान किराया भत्ता –** (1) कार्यपालक निदेशक जिसको किराया मुक्त निवास स्थान नहीं प्रदान किया गया है उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा 'X' के रूप में वर्गीकृत नगर में मूल वेतन के चोबीस प्रतिशत की दर से प्रति मास मकान किराया भत्ते (एचआरए) का संदाय किया जाएगा।

परन्तु यह कि मकान किराया भत्ते की दर को मूल वेतन का सत्ताईस प्रतिशत तब पुनरीक्षित किया जाएगा जब महंगाई भत्ता (डीए) पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो जाता है और मूल वेतन का तीस प्रतिशत तब और पुनरीक्षित होगा जब डीए पचास प्रतिशत से अधिक हो जाता है।

6. **परिवहन भत्ता –** कार्यपालक निदेशक, जो अन्यथा आवास और कार्यालय के बीच यात्रा के लिए कार्यालय की कार का प्रयोग करने के लिए पात्र है, 15,750 रुपए प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ता और उस पर महंगाई भत्ते को आहरित करने का विकल्प होगा यदि वह आवास और कार्यालय के बीच यात्रा के लिए कार्यालय कार का प्रयोग नहीं करते हों।

7. **बाल शिक्षा भत्ता –** (1) कार्यपालक निदेशक को बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति अधिकतम दो बालकों के अध्यधीन अधिकतम 2,250/- रुपए प्रति बालक प्रति माह संदाय किया जाएगा। परन्तु यह कि यदि बालक हॉस्टल में रह रहा है उसे 6,750/- रुपए प्रति बालक प्रतिमाह की हॉस्टल सहायकी प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सहायकी का साथ-साथ उपभोग नहीं किया जाएगा।

(2) बाल शिक्षा भत्ता या हॉस्टल सहायकी का उपभोग दो ज्येष्ठतम जीवित बालकों तक किया जा सकेगा।

(3) बाल शिक्षा भत्ते की सीमाएं महंगाई भत्ता पचास प्रतिशत के होने पर प्रत्येक समय पच्चीस प्रतिशत स्वत: बढ़ जाएंगी।

(4) यदि कार्यपालक निदेशक के पति/पत्नी सरकारी सेवक हैं, बाल शिक्षा भत्ता या हॉस्टल सहायकी के अधीन प्रतिपूर्ति किसी एक को ही की जाएगी।

(5) दिव्यांग बालक के लिए बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति 54,000/- रुपए की वार्षिक सीमा के अधीन विहित सामान्य दर से दोहरे का संदाय किया जाएगा।

8. **इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप से सम्मिलित नहीं किए गए अन्य भत्ते –** कार्यपालक निदेशक को अन्य भत्तों का संदाय जो इस अनुसूची में विनिर्दिष्टतया उल्लिखित नहीं किया गया है, केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2016 के आधार पर उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में अधिकारियों के मामले में यथा स्वीकार्य होगा।

[फा. सं. ए-11011/06/2023-बीमा-1]

प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ.521(अ), तारीख 17 सितम्बर, 1975 के अधीन प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ.4896(अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2022 के द्वारा किया गया।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने निगम के कार्यपालक निदेशक और कंपनियों के कार्यपालक निदेशकों की वेतन संरचना को 21 दिसम्बर, 2023 से मंजूर किया है। तदनुसार, साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 को 21 दिसम्बर, 2023 से संशोधित किया जा रही है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने के कारण निगम के किसी कार्यपालक निदेशक अथवा कंपनी के किसी कार्यपालक निदेशक के प्रतिकूलत: प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2024

S.O. 5257(E).—In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975, namely: -

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 2024.

(2) This Scheme shall be deemed to have come into force on the 21st day of December, 2023.

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 3, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

"(fa) "Executive Director" means Executive Director of the Corporation or the Company, as the case may be;";

3. In the said Scheme, after paragraph 4, the following paragraph shall be inserted, namely:—

"4A. Pay and allowances of the Executive Director.— The pay and allowances of the Executive Director shall be as specified in the Seventeenth Schedule.".

4. In the said Scheme, after the Sixteenth Schedule, the following Schedule shall be inserted, namely: —

'SEVENTEENTH SCHEDULE

[*See* paragraph 4A]

Executive Director

1. The pay scales for the Executive Director shall be as specified in the Table below:—

TABLE

Level 14 A	
Stage (1)	Pay scales in Rs. (2)
1.	1,76,800
2.	1,82,100
3.	1,87,600
4.	1,93,200
5.	1,99,000
6.	2,05,000
7.	2,11,200
8.	2,17,500
9.	2,24,000

2. **Increments in pay.—** The increments in pay shall be as specified in column (2), against the respective stages mentioned in column (1), of the Table given in paragraph 1.

3. **Date of next increment.—** (1) The Executive Director shall be entitled to one annual increment either on the 1st day of January or the 1st day of July depending on the date of his appointment provided under sub-paragraph (2).

(2) The increment in respect of the Executive Director appointed during the period between the 2nd day of January and the 1st day of July (both inclusive) shall be granted on the 1st day of January and the increment in respect of Executive Director appointed during the period between the 2nd day of July and the 1st day of January (both inclusive) shall be granted on the 1st day of July.

Illustrations

(a) In case of Executive Director appointed during the period between the 2nd day of July, 2023 and the 1st day of January, 2024, the first increment shall accrue on the 1st day of July, 2024 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis.

(b) In case of Executive Director appointed during the period between 2nd day of January, 2024 and 1st day of July, 2024, who did not draw any increment on 1st day of July, 2024, the next increment shall accrue on 1st day of January, 2025 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis.

4. **Dearness Allowance.—** (1) The Dearness Allowance payable to Executive Director shall be as declared by the Central Government for Central Government Employees.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), the Central Government may, by order, vary the rate of Dearness Allowance from time to time.

5. **House Rent Allowance**.—(1)The Executive Director who has not been provided with a rent free residential accommodation shall be paid House Rent Allowance per month at the rate of twenty-four per cent. of basic pay in a city classified as "X" by the Central Government.

Provided that the rate of House Rent Allowance will be revised to twenty-seven per cent. of basic pay when Dearness Allowance crosses twenty-five per cent. and further revised to thirty per cent. of basic pay when Dearness Allowance crosses fifty per cent.

6. **Transport Allowance.—** The Executive Director, who is otherwise entitled to the use of official car for travel between residence and office, shall have an option to draw transport allowance at the rate of Rs. 15,750/- per month plus Dearness Allowance thereon provided he does not make use of official car for travel between residence and office.

7. **Children Education Allowance**.—(1) The reimbursement of Children Education Allowance to the Executive Director shall be up to the maximum of Rs. 2,250/- per child, per month, subject to the maximum of two children and in case the child is residing in Hostel, Hostel Subsidy shall be reimbursed up to the maximum of Rs. 6,750/- per child, per month and the Children Education Allowance and the Hostel Subsidy cannot be availed concurrently.

(2) The Children Education Allowance or the Hostel Subsidy can be availed for two eldest surviving children.

(3) The Children Education Allowance limits shall be automatically raised by twenty-five per cent. every time the Dearness Allowance goes up by fifty per cent.

(4) If spouse of the Executive Director is a Government servant, only one of them can avail reimbursement under Children Education Allowance or Hostel Subsidy.

(5) The reimbursement of Children Education Allowance for differently abled children shall be payable at double the normal rates prescribed, subject to an annual ceiling of Rs. 54,000/-.

8. **Other Allowances not specifically included in this Schedule.—** The payment of other allowances to the Executive Director, not specifically provided in this Schedule, shall be made as admissible in the case of Officers in Senior Administrative Grade provided under the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016.'.

[F. No. A- 11011/06/2023-Ins.I]

PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

Note: The General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O.521 (E), dated the 17th September, 1975, and was last amended *vide* notification number S.O. 4896 (E), dated the 14th October, 2022.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to pay structure in respect of the Executive Director of the Corporation and the Executive Directors of the Companies with effect from the 21st December, 2023. Accordingly, the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975 is being amended with effect from the 21st December, 2023. It is certified that no Executive Director of the Corporation or Executive Director of the Company is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA